श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ,
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-१६

क्रमांक एफ 3/2017-18/आरएसवी/शै./1574 दिनांक 06.11.20

कार्यालय आदेश

शैक्षणिक नियम परिचायिका एवं विशिष्टाचार्य/विद्यावारिधि, उपाधि नियमावली-2016 के अनुसार प्रत्येक शोधच्छात्र को मूल शैक्षणिक अवधि (तीन वर्ष) में प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य है, जिसके लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय मे उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा । विद्यावारिधि (पीएच.डी.) में शोध उपाधि हेतु पंजीकृत सत्र 2016-17 से विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम मूल शैक्षणिक (तीन वर्ष) की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी । शैक्षणिक सत्र 2016-17 से पूर्व पंजीकृत शोध छात्रों को मूल शैक्षणिक अवधि (तीन वर्ष) में प्रतिमास न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अंकित करना अनिवार्य होगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई.सी.पी.आर आदि संस्थाओं से शोध छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोध छात्रों को उन संस्थाओं के उपस्थिति संबन्धी नियम परिपालनीय हैं ।

विद्यावारिधि सत्रीय पाठ्यक्रम का आयोजन यू.जी.सी. के नियमानुसार पूर्णकालिक है । इसमें सत्रीय अध्ययन के साथ-साथ पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षो तक नियमित रूप से प्रतिमास 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । पूर्व-पीएच.डी. अनिवार्य पाठ्यक्रम है, अतः सभी शोधार्थी को इसे कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त हो जायेगा।

प्रत्येक शोध छात्र के अपने शोध कार्यकाल में अपना त्रैमासिक प्रगति विवरण कार्यालय से अपनी मार्गनिर्देशक, विभागाध्यक्ष एवं संकाय प्रमुख से संस्तुत करवा कर जमा करवाना अनिवार्य है । प्रत्येक अनुसन्धता के लिए विद्यापीठ द्वारा समय-समय पर आयोजित संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है । पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम एक शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो शोध पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें।

शोध छात्रों के लिए कुल अध्ययन दिवसों में कम से कम 50 प्रतिशत दिवसों में केन्द्रीय ग्रंथालय में तथा शिक्षाशास्त्र विभागीय छात्रों को उनके विभागीय ग्रन्थलय शोध तथ्य संकलन एवं अध्ययन हेतु उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

प्रत्येक शोध छात्रों की षडमासिक शोध समीक्षा विभागीय शोध समिति द्वारा की जायेगी जिसमें सम्बन्धित छात्र के शोध कार्य का समालोचनात्मक विश्लेषण कर निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । यह शोध समीक्षा समिति विभाग के शोध छात्रों के शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और शोध कार्य की 6 मास पर समीक्षा करेगी । विभागीय शोध समिति की समीक्षा के उपरान्त ही शोध छात्र का प्रगति विवरण स्वीकार किया जायेगा ।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपिः-

01. समस्त संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
02. अध्यक्ष, शोध एवं प्रकाशन विभाग
03. कुलपति के निजी सचिव
04. [redacted]
05. सिस्टम एडमिस्ट्रेटर, **"कार्यालय आदेश को विद्यापीठ के वेबसाईट पर अंकित करने हेतु प्रस्तुत ।"**
06. नोटिस बोर्ड
07. कार्यालय आदेश पत्रावली

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)